तारीख हुकम

निर्णय

25/08/23

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील प्रार्थी बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की खातेदारी का खेत मौजा सुथारों का कुआ पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 627/433 व 431 आए हुए है। उक्त वाद में अप्रार्थीगण ने बंटवाडे हेतु ईकबाली जवाब पेश कर खसरा संख्या 629/412 रकबा 7.0172 हैक्टयर में घोषणा का बंटवाड़ा का वाद प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में जबरन घुस कर तथा बिना भूमि का विधिवत बंटवाड़ा करवाये सड़क वाली भूमी पर जबरन कब्जा एवं विवाद कर अन्य व्यक्तियों को बेचान करने पर उतारू है। यदि अप्रार्थीगण उसमें सफल होता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की जारी करे कि वादग्रस्त भूमि मौजा सुथारों का कुआ पटवार क्षेत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 627/433 रकबा 33.00 व 431 रकबा 0.18 बीघा तथा खसरा संख्या 629/412 रकबा 7.0172 हैक्टयर भूमि में रेकर्ड व मौके की यथा स्थिति बनाये रखें। लिहाजा माननीय न्यायालय द्वारा जारी हस्तगत प्रकरण में दिनांक 06.01.2023 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें।

वकील अप्रार्थीगण ने बहस कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है जिसमे प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा है। अप्रार्थीगण अपने 1/2 हिस्से के बेचान करने हेतु स्वतंत्र है तथा वादग्रस्त भूमि के पास कोई रोड नही है। यदि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को बेचान करने से रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का भी गंभीरता पूर्वक

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर

हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 63/2022 अनवान अनोपसिंह बनाम श्यामसिंह	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.01.2023 को प्रार्थीगण के पक्ष में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा वर्तमान में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रभाव में है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन से तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रकरण में उभय पक्षों का मौके पर विवाद है तथा वाद पत्रावली एवं आवेदन के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है। अप्रार्थी संख्या 03 का देहान्त होने से अप्रार्थी संख्या 03 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा को हटाया जाना उचित प्रतीत होता है। यदि यह आवेदन खारिज किया जाता है तो वादों की संख्या में बढोतरी होगी। प्रकरण के निर्णय तक अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निर्णय तक इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा सुथारों का कुआ पटवार क्षैत्र हाथीतला तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 627/433 रकबा 33.00 व 431 रकबा 0.18 बीघा तथा खसरा संख्या 629/412 रकबा 7.0172 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थी अप्रार्थी संख्या 01 व 02 किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करे तथा मौके व रेकर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी संख्या 03 का नाम हटाया जाता है। निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(signature)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) बाडमेर